मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल– 462004

क्रमांक एफ 1–15/2010/20–1 भोपाल, दिनांक: 02/08/2010

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
6. समस्त आयुक्त, आदिवासी विकास
7. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत
   मध्यप्रदेश।

विषय:–शालाओं में स्वीकृत पदों के अनुरूप पदस्थापना सुनिश्चित करना।
संदर्भ:–एफ 1–15/2010/20–1, दिनांक 20 मई, 2010

–0–

विभाग के संदर्भित आदेश द्वारा शालाओं में स्वीकृत पदों के अनुरूप पदस्थापना सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। स्वीकृत पदों के अनुरूप पदस्थापना सुनिश्चित करते समय निम्न निर्देशों का पालन भी किया जाये :–

1. ऐसी माध्यमिक शालाऐं जहाँ प्राथमिक एवं माध्यम शालाऐं पृथक–पृथक संचालित नहीं होकर संयुक्त रूप से कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाऐं एक साथ संचालित होती हैं, उनके लिए दिनांक 31.07.2010 की स्थिति में यदि दर्ज संख्या 200 है तो वहाँ प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला का एक पद पद– संरचना (परिशिष्ट–1 अनुसार) में रखते हुये पदस्थापना की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
2. जिलों द्वारा स्वीकृत पदों के अनुरूप पदस्थापना संबंधी कार्यवाही दिनांक 10 अगस्त, 2010 तक तैयार कर प्रस्ताव जिला कलेक्टर के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायें तथा 20 अगस्त, 2010 तक शिक्षकों द्वारा अंतिम रूप से संस्थाओं में उक्त नीति के अन्तर्गत पदभार ग्रहण की कार्यवाही पूर्ण की जाये।

उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुये शालाओं में संदर्भित निर्देश एवं उपरोक्त कंडिका के अनुरूप पदस्थापना की जिलों में की गई कार्यवाही से आयुक्त लोक शिक्षण को दिनांक 21 अगस्त, 2010 तक अनिवार्य रूप से अवगत कराना सुनिश्चित किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

CBPadwar

(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

o/c

पृ.क्रमांक एफ 1–15/2010/20-1 भोपाल, दिनांक: 2-8-2010

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग।
4. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल।
5 आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
6. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन भोपाल।
7. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. समस्त, जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, म.प्र.।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग